राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 7083/2023

सत्यप्रकाश सांखला पुत्र रामचन्द्र, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 3/48, पुराना हाउसिंग बोर्ड, जिला पाली, राज.

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री एस.के. भाटी, पी.पी.
श्री करण सिंह राठौड़

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

04/07/2024

1. धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल विविध याचिका दिनांक 18.10.2023 के एक आदेश के खिलाफ है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायालय, सोजत, जिला पाली ने याचिकाकर्ता (आरोपी) के पुनरीक्षण को खारिज कर दिया और विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.09.2023 के आदेश को बरकरार रखा।

2. संक्षेप में मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/आरोपी ने आरोप तय करने के चरण में सीआरपीसी की धारा 91 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें 23.03.2017 को सीरियल नंबर 694 वाले रोजनामचा तफ्तीश को पेश करने के लिए समन जारी करने की मांग की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसमें निहित जांच के निर्देश रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं।

2.1. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 18.09.2023 के आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 91 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर करके इस आदेश को

चुनौती दी, जिसे 18.10.2023 को अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

4. सबसे पहले, आइए हम सीआरपीसी की धारा 91 (बीएनएसएस की धारा 94 के अनुरूप) को पढ़ें, जो इस प्रकार है:-

> "धारा 91 दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए समन
>
> (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करना आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति को समन जारी कर सकता है या ऐसा अधिकारी लिखित आदेश दे सकता है जिसके कब्जे या अधिकार में ऐसा दस्तावेज या वस्तु होने का विश्वास है, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह समन या आदेश में वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित होकर उसे प्रस्तुत करे या उसे प्रस्तुत करे।
>
> (2) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति से केवल दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा की जाती है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपेक्षा का अनुपालन किया है, यदि वह दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय उसे प्रस्तुत करवाता है।
>
> (3) इस धारा की कोई भी बात--
>
> (क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) की धारा 123 और 124 को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या (ख) डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।"

5. धारा 91 सीआरपीसी इस प्रकार न्यायालय या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को जांच, पूछताछ या मुकदमे के लिए आवश्यक दस्तावेज या चीज को बुलाने का अधिकार देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी मामले में न्याय के हित में ऐसा आवश्यक हो तो ट्रायल कोर्ट को धारा 91 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि, सवाल उठता है: क्या कोई आरोपी आरोप तय करने के चरण में धारा 91 का सहारा ले सकता है?

इसका उत्तर नकारात्मक है। आइए आदेश के अगले भाग में इसके कारणों पर विस्तार से चर्चा करें।

6. इसका मुख्य कारण यह है कि आरोप तय करने का चरण मिनी-ट्रायल नहीं है। यह इस बिंदु पर है कि अदालत यह निर्धारित करती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त के खिलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अदालत इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच नहीं करती है या अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण नहीं करती है। इसके बजाय, यह जांच करती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

7. यही कारण है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायिक जांच का दायरा अपेक्षाकृत संकीर्ण है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री तक सीमित है। इस बिंदु पर अभियुक्त को धारा 91 लागू करने की अनुमति देने से साक्ष्य की विस्तृत जांच होगी, जो समय से पहले है और आरोप तय करने के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त द्वारा धारा 91 लागू करने से मुकदमे की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। आपराधिक न्याय प्रणाली पहले से ही देरी से बोझिल है, और इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देने से मुकदमे की प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। यह संभावित रूप से अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के मामले में अनावश्यक बाधाएं पैदा करने के लिए प्रावधान का दुरुपयोग करने की अनुमति भी दे सकता है।

8. जबकि यह स्पष्ट है कि अभियुक्त आरोप तय करने के चरण में धारा 91 का सहारा नहीं ले सकता, यह पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ट्रायल कोर्ट को न्याय के हित में धारा 91 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जब आवश्यक हो। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी प्रासंगिक सामग्री उसके समक्ष हो, खासकर यदि उसका अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता से कोई संबंध है। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से और धारा 91 के उद्देश्य के अनुसार किया जाना चाहिए।

9. इस प्रकार न्यायालय को अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता और कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत न्याय का हित होना चाहिए, जिसके लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष, शीघ्र और न्यायसंगत हो।

10. संक्षेप में, जबकि सीआरपीसी की धारा 91 परीक्षण न्यायालय द्वारा न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक दुर्जेय उपकरण है, अभियुक्त द्वारा आरोप तय करने के चरण में इसका आह्वान अनुमेय नहीं है। आरोप तय करने का चरण अलग और सीमित दायरे का है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं। अभियुक्त को इस बिंदु पर धारा 91 का आह्वान करने की अनुमति देना इस प्रावधान के उद्देश्य को कमजोर करेगा और परीक्षण प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और जटिलताओं को जन्म देगा। हालांकि, परीक्षण न्यायालय धारा 91 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का विवेक रखता है जब न्याय के हित की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि परीक्षण प्रक्रिया संतुलन बनाए रखते हुए निष्पक्ष और न्यायसंगत बनी रहे।

11. इस प्रकार मेरा मानना है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने सही कार्यवाही की है। किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता या ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके।

12. याचिका खारिज की जाती है। स्थगन याचिका का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।